(1)

वरिष्ठता
Seniority

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषदीय सेवकों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता विनयमावली निर्गत

संख्या : 84-विनियम-23/राविप-98-3 विनि०/92 दिनांक : 24 फरवरी, 1998

विज्ञप्ति
विविध

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद अपने अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिये एतद्द्वारा निम्न विनियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998

भाग-1
प्रारम्भिक

1— संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह विनियमावली उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 कही जायेगी।

(2) यह विनियमावली तत्काल प्रभावी होगी।

2— लागू होना

यह विनियमावली उन सभी उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन विनियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है।

3— अध्यारोही प्रभाव

यह विनियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा विनियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी।

4— परिभाषाएं

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस विनियमावली में :—

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है।

(ख) "सम्वर्ग" का तात्पर्य किसी सेवा की संवर्ग संख्या या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत संख्या से किसी भाग से है।

(ग) "आयोग" का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवा आयोग से है।

(घ) "समिति" का तात्पर्य सुसंगत सेवा विनियमों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है।

(ङ) "पोषक संवर्ग" का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा विनियमों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय।

(ग) "सेवा" का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है।

(घ) "सेवा विनियमावली" का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 79 (सी) के अधीन बनाई गई विनियमावली से है और जहां ऐसी विनियमावली न हो वहां युक्तिसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए परिषद द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों से है।

(ङ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के सम्बन्ध में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

(च) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो

ज्येष्ठता का अवधारण

5. उस स्थिति में ज्येष्ठता, जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं

जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है।

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है। कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अतिरिक्त प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे।

स्पष्टीकरण—जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किये जाएं तो नियमित भर्ती के लिये किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा।

6. उस स्थिति में ज्येष्ठता, जब केवल एकल पोषक सम्वर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं—

जहां सेवा विनियमों के अनुसार, नियुक्तियां केवल एक पोषक सम्वर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक सम्वर्ग में थी।

स्पष्टीकरण :—पोषक सम्वर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक सम्वर्ग से उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस सम्वर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक सम्वर्ग में थी।

7. उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक सम्वर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं

जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक सम्वर्गों से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने सम्वर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण :—यदि पोषक सम्वर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :—

(3)

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक सम्वर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक सम्वर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक सम्वर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे :

अपेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे ।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जायें—

(1) जहां सेवा विनियमों के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

अपेतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है । कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप—

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों का परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो ।

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक सम्वर्ग से या अनेक पोषक सम्वर्गों से होती है यथास्थिति, विनियम 6 या विनियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय ।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो एक दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायगी ।

दृष्टांत—(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1 : 1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :—

प्रथम — पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय — सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी ।

(2) जहां उक्त कोटा 1 : 3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :—

प्रथम — पदोन्नत व्यक्ति,

द्वितीय से चतुर्थ तक — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति

पांचवां — पदोन्नत व्यक्ति,

छठा से आठवां — सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी ।

प्रतिबन्ध यह है कि:—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा, जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे, किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं, किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा विनियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा विनियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानो वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

भाग-तीन
ज्येष्ठता सूची

19. ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना

(1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा।

(3) इस विनियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरुद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायं, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

शरत चन्द्र रस्तोगी
सचिव

समयबद्ध वेतनमान
Integration of Pay Scales

अराजपत्रित कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति हेतु आगमन बिन्दु (इण्डक्शन प्वाइंट) का निर्धारण

सं० 4094-सा.वि.नी./रा.वि.प.-29/96-4-छ: (20) पी/86 दिनांक 31 मार्च,

उपर्युक्त विषयक परिषदाज्ञा सं० 153-सा.वि.नी./रा.वि.प.-29/96-4(3)पी/86, दिनांक 3 अप्रैल, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि